



# जलांश



केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



संदेश

सैयद मसूद हुसैन

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

जल प्रबंधन के मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने और जल क्षेत्र में प्रयासों के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विद्यमान मंत्रालयों का विलय करके एक एकीकृत मंत्रालय "जल शक्ति मंत्रालय" बनाने का निर्णय लिया है. के.ज.आ. की ओर से, मैं हमारे माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और माननीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया का पुनर्गठित जल शक्ति मंत्रालय में स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि के.ज.आ. सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को साकार करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा.

चालू वर्ष के दौरान, के.ज.आ. ने 01.05.2019 से देश में बाढ़ का पूर्वानुमान करना प्रारम्भ कर दिया है. हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय में बाढ़ प्रबंधन संगठन ने राष्ट्र के लिए सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. केंद्रीय जल आयोग

और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तत्वावधान में "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व बाढ़ चेतावनी" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 30 से 31 मई 2019 के दौरान हैदराबाद में आयोजित किया. देश में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में, के.ज.आ. ने प्रतिभागियों को पिछले योगदान, नवीनतम पहल और बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न अन्य पहलुओं से अवगत कराया.

प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सीएडी कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय द्वारा 28.05.2019 को द्वितीय कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट) (सीएडीएंडडब्ल्यूएम) सम्मेलन आयोजित किया गया. के.ज.आ. पीएमकेएसवाई के तहत सीएडी कार्यों की प्रगति की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल है. के.ज.आ. ने अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ के.ज.आ. की भूमिका और गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और राष्ट्र की बेहतर सेवा करने के लिए उसमें सुधार हेतु उनकी सलाह लेने के लिए 11.05.2019 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में एक मंथन सत्र का आयोजन किया.

इस अवसर पर, मैं के.ज.आ. के सभी अधिकारियों से पूरे दिल से जल क्षेत्र के लिए सरकार के महान उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देने का आग्रह करता हूँ. मैं सभी से जल संरक्षण उपायों को अपनाने का भी आग्रह करता हूँ ताकि हम वर्तमान वर्ष के दौरान पानी की कम उपलब्धता की स्थिति को दूर कर सकें.

सैयद मसूद हुसैन



श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री का अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वागत



अध्यक्ष और सदस्य(आरएम), के.ज.आ. श्री रतन लाल कटारिया, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय को बधाई देते हुए

## विषय वस्तु

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व बाढ़ चेतावनी पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- बाढ़ पूर्वानुमान
- के.ज.आ. की भूमिका व कार्यकलाप तथा इसके सुधार पर मंथन सत्र
- द्वितीय सीएडीएंडडब्ल्यूएम सम्मेलन
- परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति (पीआईआरसी) की 5वीं बैठक

- गंगा नदी के लिए बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण (फ्लड प्लेन जोनिंग)
- सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी मीटिंग
- कटाखल परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण
- परियोजना की निगरानी
- इसरदा मेजर बांध परियोजना
- बरगी डायवर्जन परियोजना
- सीपीआर-के.ज.आ. संवाद मंच
- जलाशय प्रबोधन
- राज्यसभा टीवी पैनल द्वारा पानी की कमी पर चर्चा
- जल संवाहक प्रणाली में अनुमेय वेग पर संकल्पना नोट
- दीर्घ
- अनुसरण करने के लिए लिंक
- जल क्षेत्र- समाचार
- राज्य की पहल-जल ही जीवन-हरियाणा
- राज्यों से समाचार
- इतिहास से-त्रिशुली हाइड्रोपावर स्टेशन, नेपाल

# आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व बाढ़ चेतावनी पर राष्ट्रीय सम्मेलन



केंद्रीय जल आयोग, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं. और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तत्वावधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व बाढ़ चेतावनी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 30 से 31 मई 2019 के दौरान हैदराबाद में किया।

भारत में बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जो विशेष रूप से गरीब, नदी के किनारे रहने वाले और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर आबादी पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। केवल 2017 में, बाढ़ ने 26500 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। पूर्व चेतावनी, आपदा जोखिम में कमी के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशेषज्ञ वैज्ञानिकों, अभियंताओं, प्रबंधकों, बाढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ की पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास के निर्णायकों बीच तालमेल लाने के लिए किया गया।

सम्मेलन में के.ज.आ. अधिकारियों के निम्नलिखित लेखों को शामिल किया गया-

- केरल बाढ़ 2018- बाढ़ सलाह के लिए चुनौतियां और पहल
- फुटकल भूस्खलन बांध के टूटने के परिदृश्य के लिए बाढ़ का प्राक्कलन

## बाढ़ पूर्वानुमान

बाढ़ काफी हद तक एक प्राकृतिक घटना है जिससे पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। हालांकि, इसके प्रभाव को संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से कम से कम किया जा सकता है। पिछले 60 वर्षों से गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ पूर्वानुमान के.ज.आ. की प्रमुख गतिविधियों में से एक रहा है।

बाढ़ पूर्वानुमान की गतिविधि में स्तर पूर्वानुमान और अन्तर्वाह पूर्वानुमान शामिल हैं। के.ज.आ. निम्नांकित समयकाल के अनुसार विभिन्न बेसिनों में बाढ़ का पूर्वानुमान करता है।

क्रम सं.	बेसिन	अवधि
1	ब्रह्मपुत्र बेसिन, झेलम बेसिन	1 मई से 31 अक्टूबर
2	कृष्णा बेसिन तक सभी अन्य बेसिन	1 जून से 31 अक्टूबर
3	कृष्णा बेसिन के दक्षिणी बेसिन (पेन्नार, कावेरी और दक्षिणी नदियाँ)	1 जून से 31 दिसम्बर

बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नवीनतम एसओपी के अनुसार, उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल), खतरे के स्तर और चेतावनी स्तर के सन्दर्भ में नदी के जल स्तर के आधार पर बाढ़ को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।



- सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ से टाइमिंग पैरामीटर्स के बीच अंतर-संबंध
- 1-डी & 2-डी युग्मित मॉडल का उपयोग करके यमुना नदी की वास्तविक समय की आप्लावन मॉडलिंग

उपरोक्त लेखों का विवरण सम्मेलन की कार्यवाही में देखा जा सकता है जो निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

[http://nhp.mowr.gov.in/NRSC\\_conference/Proceedings\\_NHP\\_Flood\\_Early\\_Warning\\_Conference\\_Hyderabad.pdf](http://nhp.mowr.gov.in/NRSC_conference/Proceedings_NHP_Flood_Early_Warning_Conference_Hyderabad.pdf)

सम्मेलन के दौरान, वर्षा आंकड़े मान्यकरण (रेनफॉल डेटा वैलिडेशन) पर एक नियम-पुस्तिका जारी की गई। इसे निम्न यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है:

[http://nhp.mowr.gov.in/docs/NHP/MANUAL/GUIDELINES/MISCELLANEOUS/3013/Manual\\_Rainfall\\_Data\\_Validation.pdf](http://nhp.mowr.gov.in/docs/NHP/MANUAL/GUIDELINES/MISCELLANEOUS/3013/Manual_Rainfall_Data_Validation.pdf)



श्री शरद चंद्र, निदेशक, के.ज.आ. सम्मेलन के दौरान अपनी प्रस्तुति देते हुए

पूर्वानुमान, जब नदी का जल स्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी स्तर (आमतौर पर खतरे के स्तर से एक मीटर नीचे लेकिन विशेष स्थान के खतरे के संभावना पर निर्भर करता है) पर पहुंचता है तब जारी किए जाते हैं। स्तर पूर्वानुमान स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों को नुकसान के शमन के उपायों जैसे लोगों की निकासी और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करते हैं। अन्तर्वाह पूर्वानुमान का उपयोग विभिन्न जलाशयों / बांध प्राधिकरणों द्वारा बाढ़ के बहाव के सुरक्षित मार्ग के साथ-साथ गैर-मानसून अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने हेतु जलाशयों के इष्टतम संचालन में किया जाता है।

वार्षिक रूप से, बाढ़ के दौरान के.ज.आ. द्वारा लगभग 7,000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति की निगरानी करने के लिए, के.ज.आ. बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए के.ज.आ. के विभिन्न क्षेत्रीय मंडलों में स्थित 29 मंडलीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (डीएफसीआर) और के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली में केंद्रीय बाढ़

नियंत्रण कक्ष (सीएफसीआर) संचालित करता है।

के.ज.आ. लगातार अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का विस्तार भी कर रहा है। पिछले वर्ष (275 स्थलों) की तुलना में, अब 310 एफएफ स्थलों का नेटवर्क है, जो की निम्नवत है-

राज्य	स्टेज स्टेशन	पूर्वानुमान की संख्या	इन्प्लो स्टेशन	पूर्वानुमान की संख्या
आंध्र प्रदेश		10		9
अरुणाचल प्रदेश		3		0
असम		30		0
बिहार		40		3
छत्तीसगढ़		1		2
गुजरात		6		7
हरियाणा		1		1
हिमाचल प्रदेश		1		0
जम्मू व कश्मीर		3		0
झारखंड		2		15
केरल		3		2
कर्नाटक		1		13
मध्य प्रदेश		2		10
महाराष्ट्र		8		13
ओड़ीशा		12		7
राजस्थान		2		11
सिक्किम		3		5
तमिलनाडु		4		11
तेलंगाना		5		8
त्रिपुरा		2		0
उत्तराखण्ड		4		2
उत्तर प्रदेश		40		4
पश्चिमी बंगाल		12		4
दमन एवं दीव		1		0
रा.रा.क्षे. दिल्ली		2		0
योग		190		120

## के.ज.आ. की भूमिका व कार्यकलाप तथा इसके सुधार पर मंथन सत्र

के.ज.आ. की भूमिका व कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और उसमें सुधार करने हेतु पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह लेने के लिए के.ज.आ. ने 11.05.2019 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में एक मंथन सत्र का आयोजन किया। उक्त बैठक में मंत्रालय एवं अन्य संगठनों में तैनात के.ज.आ.से. समूह 'क' के अधिकारियों ने भी भाग लिया।



के.ज.आ. के पूर्व अध्यक्ष / सदस्यों सहित श्री एम.एस. रेड्डी, सचिव(डब्ल्यूआर), श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ., डॉ. बी.के. मिश्र, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री ए.बी. पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ., और महासचिव, आईसीआईडी आदि ने के.ज.आ. की गतिविधियों से संबंधित पहलुओं पर चार घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श किया। इस सत्र के दौरान दिए गए विभिन्न सुझावों में दिशा निर्देशों /मैनुअल को अद्यतन करना, बीआईएस कोड के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विकास, बेसिन / उप-बेसिन जल लेखा



का निर्माण, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभाव की प्रभावकारिता का आकलन, बांध सुरक्षा, नदी बेसिन प्रबंधन आदि पर प्रस्तावित विधानों को लागू करने के लिए प्रयास, शहरी बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न

प्रकाशनों का पुनरूद्धार करना शामिल है। प्रतिभागियों ने के.ज.आ. के 75वें वर्ष के उत्सव के संबंध में के.ज.आ. के निर्णय का स्वागत किया और जहां भी आवश्यक हो, अपना पूरा समर्थन देने की बात रखी।

## द्वितीय सीएडीएंडडब्ल्यूएम सम्मेलन

सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) के साथ मिलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीएंडडब्ल्यूएम) पर दूसरा सम्मेलन 28.05.2019 को अहमदाबाद में आयोजित किया। सम्मेलन का आयोजन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे सहभागी राज्यों के अधिकारियों, संबंधित सरकारी अभिकरणों एवं गैर-सरकारी संगठनों के मध्य सीएडीएंडडब्ल्यूएम पर जागरूकता बढ़ाना था।



सम्मेलन में निम्नलिखित तीन तकनीकी सत्र शामिल थे :

- सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम की समीक्षा- सफलता, विफलता और रणनीतिक सुधार
- संरचनात्मक हस्तक्षेप - नई प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन
- गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेप - स्थायी पीआईएम पहल

श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने "सरकारी परियोजनाओं में नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन में मुद्दे" का विवरण प्रस्तुत किया। श्री भोपाल सिंह, मुख्य अभियंता(यूजीबीओ), के.ज.आ. लखनऊ ने "सीएडीडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों पर परिप्रेक्ष्य" पर प्रस्तुति दी। सम्मेलन के दौरान, सरदार सरोवर परियोजना में भूमिगत पाइपलाइनों के मूल्यांकन; दुर्गावती जलाशय परियोजना (बिहार) में सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम जैसे विषयों और सीएडीडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन

में विभिन्न मुद्दों और पहलों पर चर्चा की गई। श्री सुशील कुमार, मुख्य अभियंता, प्रबोधन (द.) संगठन, के.ज.आ., बंगलौर ने सम्मेलन की सिफ़ारिशों की पुष्टि की। सम्मेलन के प्रतिभागियों ने सम्मेलन के अगले दिन राजस्थान के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना कमान का दौरा किया।

## परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति (पीआईआरसी) की 5वीं बैठक

भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत 18 राज्यों में 99 एआईबीपी परियोजना के सीएडी कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय जल आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में सीएडी प्रकोष्ठों (सेल) और मुख्यालय में परियोजना निगरानी संगठन (पीएमओ) के माध्यम से समग्र प्रबोधन और समन्वय समर्थन प्रदान कर रहा है। परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति (पीआईआरसी) द्वारा समय-समय पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। सीएडीएंडडब्ल्यूएम कार्यान्वयन के लिए पीआईआरसी की 5वीं बैठक 30.05.19 को श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राजस्थान के माउंट आबू में आयोजित बैठक में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।



बैठक के दौरान यह बताया गया कि 99 परियोजनाओं में से 43.51 लाख हेक्टेयर के बाकी कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) वाली 87 परियोजनाओं को 17,876 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में 7,927 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। शेष 12 परियोजनाओं में से तीन को अभी तक कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है, जबकि सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नौ परियोजनाएं प्रस्तावित नहीं की जा रही हैं।

## गंगा नदी के लिए बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण (फ्लड प्लेन जोनिंग) (हरिद्वार से उन्नाव)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं. मंत्रालय ने समुचित रूप से हरिद्वार से उन्नाव तक के फैलाव में गंगा नदी के फ्लड प्लेन की पहचान करने और उसकी हदबंदी करने के लिए अगस्त, 2017 में सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया। समिति को गैर विकास /निर्माण क्षेत्र, विनियामक क्षेत्र और फ्लड प्लेन के उन विनियामक क्षेत्र में वर्जनीय/अवर्जनीय गतिविधियों की पहचान करने का काम भी सौंपा गया है जो फ्लड प्लेन के विनियामक क्षेत्र में की जा सकती/नहीं की जा सकती हैं।

समिति की चौथी बैठक 22.04.2019 को के.ज.आ.-मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर, महत्वपूर्ण शहरों/नगर पालिकाओं/प्रमुख बस्तियों के पास समिति की मसौदा रिपोर्ट में पहचाने गए फ्लड प्लेन का जमीनी सत्यापन केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल ने मई महीने के दौरान किया।



## सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी मीटिंग

कावेरी जल विवाद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद पिछले साल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का गठन किया गया था। सीडब्ल्यूएमए को कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा इसके कामकाज में सहायता प्रदान की जाती है। मई के महीने के दौरान दोनों निकायों ने नई दिल्ली में बैठकें की।

सीडब्ल्यूएमए और के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री एस. मसूद हुसैन की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूएमए की तीसरी बैठक 28.05.2019 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी राज्यों यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कर्नाटक द्वारा जून, 2019 के महीने के लिए पानी छोड़े जाने पर चर्चा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने संकल्प लिया कि प्रवाह को सामान्य मानते हुए, अधिसूचना में निर्धारण के अनुसार कर्नाटक को जून महीने के लिए निर्धारित कोटा यानी 9.19 टीएमसी पानी छोड़ना चाहिए।



श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूएमए और के.ज.आ., सीडब्ल्यूएमए की 28.05.2019 को तृतीय बैठक की अध्यक्षता के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में करते हुए

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीच मौजूदा व्यवस्था जून के महीने तक पुडुचेरी को जारी किए जाने वाले पानी के संबंध में जारी रहेगी। इस निर्णय की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपनी अगली बैठक में अंतर्वाह पर आधारित होगी।

उपरोक्त से पहले, सीडब्ल्यूआरसी के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूआरसी की 7वीं बैठक 23.05.2019 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, कावेरी बेसिन में जल वर्ष 2018-19 के दौरान जल-मौसम संबंधी स्थिति पर चर्चा की गई और समिति द्वारा यह नोट किया गया कि वर्तमान जल वर्ष के दौरान अब तक बेसिन के किसी भी हिस्से में संकट का कोई संकेत नहीं है।



श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूआरसी, 23.05.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित सीडब्ल्यूआरसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए

सदस्य राज्यों के साथ-साथ आईएमडी के साथ सूचना/डेटा के आदान-प्रदान के महत्व पर बल दिया गया और सभी राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे पार्टी राज्यों के साथ-साथ सीडब्ल्यूआरसी के साथ भी डेटा साझा करें। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूआरसी ने तीन राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से जल वर्ष 2018-19 (31 मई, 2019 तक) की जल खाते की मौसमी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेटा साझा करने का अनुरोध किया।

## कटाखल परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण

कटाखल सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा डीपीआर बनाने का काम के.ज.आ. को सौंपा गया है। इस संबंध में, के.ज.आ. की एक टीम ने मई, 2019 के दौरान मिज़ोरम सीमा के पास जिला हैलाकांडी, असम में धुलेश्वरी नदी (जिसे कटाखल भी कहा जाता है) का टोही सर्वेक्षण किया।

टीम ने प्रस्तावित बैराज और परियोजना स्थल तक पहुंच के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की पहचान की। उन्होंने मौजूदा जीएंडडी साइट नामतः धौलेश्वरी साइट पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा की उपलब्धता के साथ-साथ क्षेत्र में निर्माण सामग्री की उपलब्धता का आकलन किया।



## परियोजना की निगरानी

के.ज.आ. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 99 एआईबीपी परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहा है. इस संबंध में, के.ज.आ. के अधिकारियों ने प्रगति का पता लगाने और अड़चनों और निधि आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मई, 2019 के दौरान 6 राज्यों में 14 परियोजनाओं का दौरा किया.

क्रम संख्या	राज्य/परियोजना का नाम	क्रम संख्या	राज्य/परियोजना
	<b>आंध्र प्रदेश</b>		<b>महाराष्ट्र</b>
1	तडीपुडी लिफ्ट सिंचाई योजना	7	अर्जुन
2	थोटापल्ली	8	मोरना (गुरेघर)
3	ताराकरम तीर्थ सागरम्	9	कुडाली
	<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>		<b>तेलंगाना</b>
4	त्राल लिफ्ट	10	श्री कोमरम भीम परियोजना
	<b>कर्नाटक</b>		<b>गोर्लावागू परियोजना</b>
5	करंजा	12	रल्लीवागू परियोजना
	<b>उत्तर प्रदेश</b>		<b>पेड्डावागू @ नीलवाई परियोजना</b>
6	मध्य गंगा नहर फेज-II	14	पेड्डावागू @ जगन्नाथपुर



के.ज.आ. के अधिकारी मध्य गंगा नहर चरण- II परियोजना के तहत अर्जुन फीडर नहर का दौरा करते हुए

## ईसरदा प्रमुख बांध परियोजना

ईसरदा प्रमुख बांध परियोजना के निर्माण हेतु डिजाइन और ड्राइंग के पुनरीक्षण के लिए के.ज.आ. और जल संसाधन विभाग, राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह बांध बनास नदी पर निर्माण के लिये प्रस्तावित है, जो कि अरावली पर्वत की पहाड़ी श्रृंखलाओं के पूर्वी ढलानों से निकलती है और मुख्यतः उत्तर- पूर्व कि ओर बहते हुए चम्बल नदी से जुड़ने से पहले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से गुजरती है.

इस परियोजना में दौसा के 5 कस्बों और 1065 गांवों, सवाई माधोपुर के 96 गांवों, टोंक के 19 गांवों और अलवर जिलों के 3 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है. के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम ने 03.05.2019 को बांध परियोजना स्थल का दौरा किया.




03.05.2019 को बांध परियोजना स्थल का दौरा करने वाले के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम

## बरगी डायवर्जन परियोजना

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), भोपाल बरगी डायवर्जन परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग 11.9 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद कैरियर सुरंग का निर्माण कर रहा है. टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से सुरंग की खुदाई बहुत पहले अप्रैल 2011 में अनुप्रवाह की तरफ से शुरू की गई. कार्य की धीमी प्रगति के कारण, जून, 2016 में एक और टीबीएम प्रतिप्रवाह की ओर से लगाई गई. हाल ही में यह पाया गया है कि दो टीबीएम का प्रयोग करने के बाद भी, काम की प्रगति बहुत धीमी है और अब तक केवल 35% काम ही पूरा हो पाया. सुरंग की खुदाई की प्रगति को तेज करने के लिए, श्री एस.के. सिब्ल, मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ., जीएसआई, एनएचपीसी और सीएसएमआरएस के विशेषज्ञों वाली एक उच्च स्तरीय बहु-विभागीय समिति का गठन विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए किया गया है.

तदनुसार, विशेषज्ञ टीम ने 27 से 29 मई 2019 तक परियोजना स्थल का दौरा किया और सुरंग का निरीक्षण किया. टीम ने मामले को समझने व आगे बढ़ने के लिए एनवीडीए के अधिकारियों और ठेकेदार की टीम के साथ चर्चा की. यात्रा की रिपोर्ट प्रतीक्षित है.



परियोजना स्थलों पर विशेषज्ञ टीम



स्लीमनाबाद कैरियर सुरंग में टीबीएम

## सीपीआर-के.ज.आ. संवाद मंच

सीपीआर-के.ज.आ. संवाद मंच ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक डॉ स्कॉट मूर को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में 28.05.2019 को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया. डॉ मूर वर्तमान में खासकर चीन और दक्षिण एशिया में पानी की राजनीति और नीति पर काम कर रहे हैं. वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2018 में प्रकाशित 'सबनेशनल हाइड्रोपोलिटिक्स: कंफ्लिक्ट, कोआपरेशन, एंड इंस्टीट्यूशन-बिल्डिंग इन शेयर्ड रिवर बेसिन' के लेखक भी हैं.

व्याख्यान के दौरान, डॉ. स्कॉट मूर ने 'भारत के जल युद्ध - कारण, परिणाम और इलाज' विषय पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने भारत के अंतर-राज्य जल विवादों के कुछ कारणों जैसे कि बहुसंख्यकवाद, जल संबंधी मुद्दों का राजनीतिकरण, केंद्र सरकार द्वारा विधायी शक्ति का उपयोग न करने आदि की व्याख्या की. उन्होंने कानूनी, न्यायिक और संस्थागत क्षेत्रों में समाधानों पर बात की और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और चीन में सहयोग के उदाहरणों का हवाला दिया.



डॉ. स्कॉट मूर के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में बात रखते हुए


## जलाशय प्रबोधन

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश भर के 91 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को एक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन 91 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित निर्मित 257.812 बीसीएम की लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 63% है।

दिनांक 30.05.2019 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 31.65 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का 20% है। यह पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि के भंडारण का 114% और पिछले दस वर्षों में औसत भंडारण का 103% है।

विभिन्न हितधारकों की मांग को देखते हुए, के.ज.आ. ने निगरानी के तहत 58 अतिरिक्त जलाशयों को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में, 10.05.2019 को के.ज.आ. के सभी क्षेत्र के मुख्य अभियंताओं के साथ सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके दौरान राज्यों के परामर्श के साथ के.ज.आ. में निगरानी के लिए 58 अतिरिक्त जलाशयों की सूची को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए गए जलाशयों की लाइव भंडारण स्थिति में



कमी को ध्यान में रखते हुए मई 2019 के महीने में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों को उपलब्ध पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सलाह जारी की गई है।

## राज्यसभा टीवी पैनल द्वारा पानी की कमी पर चर्चा

**यू पी सिंह**  
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय

**डॉ एम महापात्रा**  
अतिरिक्त महानिदेशक, मौसम विज्ञान

**आर आर पवार**  
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार

**एस के हलधर**  
सदस्य, केंद्रीय जल आयोग

**कर्वींद्र सचान**  
एकर

01 May 20:39  
RStv

## पानी का संकट

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं. और श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), केंद्रीय जल आयोग ने 01.05.2019 को राज्यसभा टीवी कार्यक्रम पर पानी की कमी के संबंध में एक पैनल चर्चा में भाग लिया।

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं. ने देश में वर्तमान जल उपलब्धता; परिमित जल संसाधनों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव; मांग पक्ष प्रबंधन की आवश्यकता, विभिन्न सरकारी योजनाएं / कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके विभिन्न घटक एआईबीपी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप (एमसीडीपी), मनरेगा; राज्य सरकार द्वारा की गई पहल; और इस तरह की पहल में आम जनता की भागीदारी की आवश्यकता का विवरण दिया। इस अवसर पर बात करते हुए, श्री एस.के. हलधर ने के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए जा रहे प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध वर्तमान भंडारण का विवरण दिया।

उन्होंने उल्लेख किया कि देश में अधिकांश वर्षा कुछ महीनों में प्राप्त होती है जबकि पूरे वर्ष पानी का उपयोग करना होता है। इसलिए, उपलब्ध पानी को उपयोग करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता है। उन्होंने अधिक भंडारण की आवश्यकता; विशेष रूप से सिंचाई क्षेत्र में पानी की मांग प्रबंधन; और पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल के पैटर्न में बदलाव पर भी जोर दिया।

डॉ. एम. महापात्रा, अतिरिक्त महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग और श्री आर. आर. पवार, सचिव, सीएडी, महाराष्ट्र सरकार ने भी चर्चा में भाग लिया।

कार्यक्रम को निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है:

<https://www.youtube.com/watch?v=djicTTPAdp8>

## जल संवाहक प्रणाली में अनुमेय वेग पर संकल्पना नोट

जल विद्युत परियोजना में पानी के संवाहक प्रणाली में प्रवेश करने वाला तलछट कंक्रीट अस्तर को नष्ट कर सकता है और इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। एक साहित्य समीक्षा बताती है कि कंक्रीट अस्तर वाले हेड रेस सुरंग में अनुमेय वेग भी तलछट की सघनता पर निर्भर है। भारतीय मानक में अनुमेय वेगों के प्रावधान: 4880 (भाग III) केवल अस्तर की सामग्री के आधार पर निर्दिष्ट किए गए हैं और तलछट की विशेषताओं और एकाग्रता के अनुसार नहीं। इस कमी के कारण इस प्रावधान को

लागू करने में दुविधा हुई है। इस संदर्भ में, कमी को दूर करने के लिए, के.ज.आ. में व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक मसौदा अवधारणा नोट तैयार किया गया। मसौदे को के.ज.आ. की वेबसाइट पर विशेषज्ञों की टिप्पणियों / सुझावों को आमंत्रित करने के लिए रखा गया है।

[http://cwc.gov.in/sites/default/files/admin/Draft\\_Concept\\_Note\\_Permissible\\_Velocity.pdf](http://cwc.gov.in/sites/default/files/admin/Draft_Concept_Note_Permissible_Velocity.pdf)

## दीर्घा



भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने सिंचाई, बिजली आदि के लिए जलाशय के जल स्तर पर डेटा एकत्र करने और तंत्र विश्लेषण के लिए पर 07.05.2019 पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अपर सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.मं. और सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने भाग लिया



केजीबीओ के अपर गोदावरी डिवीजन (यूजीडी) के तहत मध्य गोदावरी सब डिवीजन (एमजीएसडी) का उद्घाटन वारंगल में 01.05.19 को अधीक्षण अभियंता, गोदावरी परिमंडल, केजीबीओ, के.ज.आ. हैदराबाद और अधीक्षण अभियंता, आईएंडसीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया



श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. ने नई दिल्ली में 28.05.2019 को आयोजित बांध पुनर्वास सुधार परियोजना -2 (डीआरआईपी -2) के लिए पोर्टफोलियो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क परामर्श बैठक के दौरान संबोधित करते हुए



कोट्टायम, केरल में 07 से 10 मई, 2019 के दौरान केडब्ल्यूआरडी और केएसईबी अधिकारियों के लिए ऑपरेशन और रखरखाव मैनुअल पर कार्यशाला



30.05.2019 को विश्व बैंक, सीबीआईपी और आईसीआईडी के सहयोग से केंद्रीय जल आयोग के तत्वावधान में एक्वा फाउंडेशन द्वारा आयोजित "बांधों के निरीक्षण और जांच के नवीनतम रुझानों" पर बांध सुरक्षा कार्यशाला



पुनात्सांगचू -1 एचईपी, भूटान पर तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 23वीं बैठक 3 मई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. टीसीसी की अध्यक्षता मेंबर (हाइड्रो), सीईए और सह-अध्यक्षता सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. द्वारा की गयी



केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा टीम के द्वारा आईजोल तथा सिलचर स्थित केंद्रीय जल आयोग के कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया



भारत और नेपाल के बीच सदस्य(सी), जीएफसीसी, पटना के नेतृत्व में बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन (जेसीआईएफएम) पर संयुक्त समिति ने जेसीआईएफएम की 13वीं बैठक और नेपाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के लिए संयुक्त निरीक्षण यात्रा के लिए नेपाल का दौरा किया



श्री एन.एन. राय, निदेशक, हाइड्रोलॉजी (दक्षिण) और सुश्री इस्ती इस्साक, सहायक निदेशक, हाइड्रोलॉजी (दक्षिण), डीआरआईपी चरण II के तहत डिजाइन बाढ़ समीक्षा अध्ययन के संबंध में अंजुनेम बांध स्थल, गोवा में राज्य के अधिकारियों के साथ.

## अनुसरण करने के लिए लिंक

यूरोपीय आयोग का जल, ऊर्जा, खाद्य और पारिस्थितिकी तंत्र (डब्ल्यूइएफड) नेक्सस और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर स्थिति पत्र

[https://www.water-energy-food.org/fileadmin/user\\_upload/files/documents/organisations/j/WEFE\\_NEXUS\\_and\\_SDGs\\_Position\\_Paper.pdf](https://www.water-energy-food.org/fileadmin/user_upload/files/documents/organisations/j/WEFE_NEXUS_and_SDGs_Position_Paper.pdf)

सीवेज प्रबंधन के विकल्प के रूप में निर्मित आर्द्र भूमि (वेटलैंड) पर मैनुअल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/Print\\_Version\\_of\\_CW\\_Manual-23\\_May-2019.pdf](http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/Print_Version_of_CW_Manual-23_May-2019.pdf)

## जल क्षेत्र- समाचार

- यमुना की सफाई में 60 फीसदी सीवेज प्लांट फेल (राजस्थान पत्रिका, 02.05.2019)
- मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही स्वच्छ हो सकेगी यमुना (दैनिक जागरण, 07.05.2019)
- जल प्रबंधन की चुनौती (जनसत्ता, 09.05.2019)
- नेटजियो दल गंगा में प्लास्टिक कचरा तलाशेगा (हिन्दुस्तान, 10.05.2019)
- सिंधु जल समझौते पर की 'कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन' की मांग (हरिभूमि, 10.05.2019)

- केन—बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने के संकेत (हिन्दुस्तान, 12.05.2019)
- कभी बारहों महीने बहती थी सिंध, अब खेल का मैदान बन गई है (राजस्थान पत्रिका, 19.05.2019)
- 10 साल में 100 मीटर तक देश में भूजल स्तर गिरने की आशंका (राजस्थान पत्रिका, 21.05.2019)
- जल क्षेत्र के बजटीय आवंटन में वृद्धि करने की जरूरत (दैनिक जागरण, 28.05.2019)
- बड़ी लापरवाही : तकनीकी गड़बड़ी से टूटी थी नहर (राजस्थान पत्रिका, 31.05.2019)

## राज्य की पहल-जल ही जीवन-हरियाणा



हरियाणा सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक प्राथमिक योजना जल ही जीवन शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रकृति, मिट्टी और पानी को संरक्षित करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इस मौसम से लगभग 50000 हेक्टेयर क्षेत्र में विविधता लाने के लक्ष्य के साथ 7 डार्क जोन ब्लॉकों में मक्का और अन्य फसलों द्वारा धान के प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई है।

इस योजना को बढ़ावा देने के लिए, सरकार किसानों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

- किसान को प्रति एकड़ रु 2000 / -
- इन चयनित किसानों को उच्च गुणवत्ता और उच्च उपज संकर बीज उपलब्ध कराया जाएगा
- चयनित किसानों को मक्का फसल के लिए भी किसानों की किस्तों के हिस्से का भुगतान करके राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कवर किया जाएगा
- इन किसानों की उपज राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी जाएगी

## राज्यों से समाचार

● केरल सरकार द्वारा 29 से 31 मई 2019 के दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम में हरित केरल मिशन "जलसमागम -केरल जल शिखर सम्मेलन 2019" नामक तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

● महाराष्ट्र जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण (म.ज.सं.वि.प्रा), एक वैधानिक प्राधिकरण

ने अधिसूचित किया है कि 31.10.2020 से जल संसाधन परियोजना के जलाशयों का पानी जलाशयों से लिफ्ट डरीगेशन योजनाओं के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जब तक कि कृषक बारहमासी फसलों जैसे गन्ना, केला, बाग आदि को सिंचित करने के लिए ड्रिप या स्प्रेकलर सिंचाई नहीं अपनाते हैं।

## इतिहास से-त्रिशुली हाइड्रोपावर स्टेशन, नेपाल

त्रिशुली हाइड्रोपावर स्टेशन, नेपाल में सबसे शुरुआती जलविद्युत परियोजनाओं में से एक, के.ज.आ. (तत्कालीन केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग) द्वारा अन्वेषित, अभिकल्पित और निष्पादित की गई थी। इसे 1967 में काठमांडू और उसके आसपास बिजली की तत्काल और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 14 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना का निर्माण त्रिशुली नदी के किनारे त्रिशुली बाजार, नुवाकोट जिले में किया गया है जो काठमांडू से लगभग 75 किमी दूर है। त्रिशुली नदी, गंडक घाटी में बहने वाली सात मुख्य धाराओं में से एक है। इसकी आरंभिक स्थापित क्षमता 21 मेगावाट थी जिसमें प्रत्येक 3 मेगावाट की 7 इकाइयाँ थीं। बाद में इसे 1995 में पुनर्वासित किया गया और इसे 24 मेगावाट में उन्नत किया गया। परियोजना आज तक चल रही है।

इस परियोजना को कुछ 50 साल पहले शुरू किया गया था और अभी भी नेपाल में चौथा सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र है। इस बिजली परियोजना के महत्व को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि इसने अपनी शुरुआत के बाद देश की स्थापित जल विद्युत क्षमता को आठ गुना बढ़ा दिया। दूसरे देश में कठिन स्थलाकृति, सीमित उपस्कर संसाधन और कुशल जनशक्ति की कमी के बीच प्रारम्भ से अंत तक परियोजना का कार्यान्वयन, के.ज.आ. की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है जो इसने अपनी स्थापना के दो दशकों के भीतर हासिल किया। परियोजना के लिए भारत और नेपाल के संयुक्त प्रयास ने भारत-नेपाल मित्रता के बढ़ते संबंध में योगदान दिया।



28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एक ऐतिहासिक संकल्प स्वीकार किया, जिसने " सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दिया, जो जीवन और सभी मानव अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है:" (पैरा -1, संकल्प संख्या 64/292, यूएनजीए, 2010)



## केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,  
भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

## संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता(मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य

- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्द्र पॉल, सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(डबल्यूएसई) - सदस्य सचिव

## अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई मेल : media-cwc@gov.in

